न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2022 (राजसमन्द डिकी)

दला सिंह उर्फ दूल सिंह पिता श्री भैरू सिंह, जाति रावत, निवासी बार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजू सिंह पिता श्री लाखा सिंह, जाति रावत, निवासी बार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दुर्गा सिंह पिता श्री लाखा सिंह, जाति रावत, निवासी बार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारायण सिंह पिता श्री लाखा सिंह, जाति रावत, निवासी बार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गोपाल सिंह पिता श्री उदय सिंह, जाति रावत, निवासी बार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक 08.11.2021 प्रकरण संख्या 101/2016

---/---

उपस्थित :– 1– श्री पुष्कर लाल लौहार अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक रे.सं. 5

---::---

निर्णय **दिनांक [illegible] 2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible]म बार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तहसील भीम में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी नंबर 540 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी की मौरूसी होकर वादी व प्रतिवादीगण का सजरा निम्नानुसार है :–

मानसिंह पिता तेजसिंह
- भैरूसिंह (पुत्र)
  - उदयसिंह (पुत्र)
    - गोपालसिंह (पुत्र)
  - दूलसिंह (पुत्र)
- लाखासिंह (पुत्र)
  - राजूसिंह (पुत्र)
  - दुर्गसिंह (पुत्र)
  - नारायणसिंह (पुत्र)

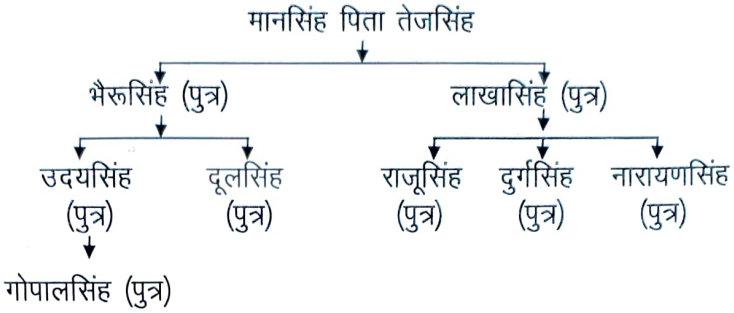

उपरोक्त सजरे अनुसार मूल पुरूष मानसिंह के दो पुत्र भैरूसिंह व लाखासिंह हुए। भैरूसिंह के वारिस वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 है, जबकि लाखासिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। इस प्रकार वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

मौजा बार चकला बार की खतौनी जमाबन्दी जिला मेवाड़ मेरवाड़ा सन् 1350 फसली, जो वर्तमान में मौजा बार में स्थित है। उपरोक्त जमाबन्दी के खेवट संख्या 60 की सिलसिला नंबर खाता खतौनी संख्या 94 साबिक नंबर 1054 रकबा 322 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि खेवट में शामलात देह दर्ज थी, जिसमें से 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि भाई बंटवारे में मानसिंह के हिस्से में आयी थी, जिस पर पीढ़ियों से मानसिंह के पूर्वज काश्त करते थे इस कारण धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे। मानसिंह के बाद उसके दोनों पुत्र भैरासिंह व लाखासिंह काबिज हुए तथा वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। अतः हाल आराजी नंबर 540 के 1/2 हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार घोषित कि[illegible]ीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

2. अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 08–11–2021 को वादी को केवल मात्र कब्जे के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराना मानते हुए वादी का खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल लौहार उपस्थित हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी राजीनामे के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। राजस्व कैम्पों में सिर्फ राजीनामा प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं वादी को बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये तथा बिना राजीनामे के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का [illegible] किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14–07–2021 [illegible] प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15–10–2021 नियत की गयी, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 15–10–2021 की कोई आदेशिका पत्रावली पर नहीं है एवं सीधे ही दिनांक 08–11–2021 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादी का वाद खारिज कर दिया, जबकि विधि अनुसार राजस्व कैम्प में राजीनामा प्रकरणों की ही सुनवाई की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। दावा घोषणा एवं विभाजन का है, जिसे वादी को सुनकर साक्ष्यों के आधार पर निर्णित किया जाना न्याय संगत होगा। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–11–2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

6.11.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested